समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. ..../.............../.........................

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

पक्षकार - श्री बटई गौंड उम्र 45 पिता श्री प्रेम सिंह निवासी-ग्राम पंचायत पोंडी ग्राम पोडी तारादेही दमोह

विरूद्ध -

अनावेदक - म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर

अपील अंतर्गत धारा35(4)म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत्

1. माननीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के **प्रकरण क्र. 51/अ–21/2016–17 में पारित आदेश दि. 06/02/2017** (Annexure.1) से व्यथित होकर **म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा35(4)के तहत् यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।**

2. यह कि श्री बटई गौंड उम्र 45 पिता श्री प्रेम सिंह निवासी-ग्राम पंचायत पोंडी ग्राम पोडी तारादेही दमोह द्वारा ग्राम **चूरिया** प.ह.नं. 32, रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 120, 119, 118 रकवा 1.00, 1.200, 0.870 हेक्टेयर भूमि को विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 25/11/2016 (Annexure-2) **म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत्** कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि विक्रय अनुमति उपरांत आवेदक के पास ग्राम चूरिया प.ह.नं. 32 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर में ग्राम **चूरिया** प.ह.नं. 32, रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 120, 119, 118 रकवा 1.00, 1.200, 0.870 हेक्टेयर को विक्रय के पश्चात् आवेदक के पास ग्राम घाट सिमरिया प.ह.नं. 39 रा.नि.मं. बरगी तह. व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. क्रमशः 325, 313, 315/2, 21/2, 296, 312 रकवा क्रमशः 0.700, 0.070, 1.600, 0.060, 0.020, 1.020 यानि की कुल रकवा 3.470 हे. असिंचित भूमि शेष बच रही है। आवेदित भूमि पट्टे की नहीं है। आवेदित भूमि विक्रय के पश्चात् आवेदक को उचित प्रतिफल प्राप्त हो रहा है तथा आवेदक के आर्थिक हितों एवं अन्य में विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदित भूमि सिंचित है। साथ ही प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा क्रय की गई थी, आवेदक के साथ किसी प्रकार का छल कपट नहीं हो रहा है और भूमि विक्रय से आदिवासी के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

NOTARY MOHAMMED ASHFAQUE JABALPUR DIST M.P Regd. No. 7829 GOVT. OF INDIA

XXXIX(a)BR(H)-11 -2-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 584-एक/17 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-2-17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 51/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 6-2-17 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी कं. 2 शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति से संबंधित है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 6-2-17 को अपीलार्थी की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में निरस्त किया गया है । अपीलार्थी द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए न्यायहित में यह पाया जाता है कि प्रकरण का निराकरण तकनीकि आधार पर न करते हुए गुणदोष पर किया जाये । अतः इस प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है । 3- प्रकरण के गुणदोषों के संबंध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण अपीलार्थी बटई गौंड द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । आवेदन में अपीलार्थी बटई गौंड द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम चूरिया प.ह. नं. 32 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 118 रकबा 0.870 हेक्टर, खसरा नंबर 119 रकबा 1.200 हैक्टर	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	एवं खसरा नंबर 120 रकबा 1.00 को विक्रय करने की अनुमति संहिता की धारा 165(6) के तहत दिए जाने का अनुरोध किया गया है । अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों खसरा इत्यादि के अवलोकन से स्पष्ट है कि विक्रय हेतु आवेदित प्रश्नाधीन भूमियां अपीलार्थी की क्रय की गई स्वअर्जित भूमियां है, उक्त भूमि अपीलार्थी को शासन से प्राप्त भूमियां नहीं है । प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पास विक्रय हेतु आवेदित प्रश्नाधीन भूमियों के अतिरिक्त ग्राम घाट पिपरया प0ह0नं0 39 रा0नि0मं0 बरगी तहसील व जिला जबलपुर में 3.470 हैक्टर भूमियां शेष बच रही हैं । आवेदक के अनुसार उसके साथ अंतरण में कोई छल कपट नहीं हो रहा है । आवेदक की समाज के व्यक्ति भूमि को क्रय करने को तैयार नहीं है इस कारण वह अपने भूमिस्वामी स्वत्व की उक्त भूमियों को गैर आदिम जनजाति के सदस्य को विक्रय करना चाहता है । अपीलार्थी द्वारा यह भी कहा गया है कि वे वर्तमान वर्ष 2016-17 की गाइड लाइन से अधिक मूल्य प्राप्त होने के उपरांत ही भूमि का विक्रय करेंगे । चूंकि अपीलार्थी आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है । प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि अपीलार्थी को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की प्रश्नाधीन भूमियों को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है । दर्शित परिस्थिति में कलेक्टर के समक्ष आलोच्य प्रकरण में प्रचलित कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम चूरिया प0ह0नं0 32 रा0नि0म0 बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 118 रकबा 0.870 हेक्टर, खसरा नंबर 119 रकबा 1.200 हैक्टर	

XXXIX(a)BR(H)-11 -4-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक - निग0 584-एक/17 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	एवं खसरा नंबर 120 रकबा 1.00 को विक्रय करने की अनुमति संहिता की धारा 165 (6) के तहत गैर आदिम जनजाति के सदस्य को निम्न शर्तो के साथ विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है :- 1- प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	